"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर 2020—आश्विन 10, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 सितम्बर 2020

क्रमांक/एफ 1-10/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 1988 एवं 1989 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3 के अंतर्गत, सेवा के विशेष पुलिस महानिदेशक वेतनमान अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-16 रुपये 02,05,400-02,24,400/- में पदोन्नत करता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम
01.	श्री संजय पिल्ले, (भापुसे-1988), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर.
02.	श्री आर. के. विज (भापुसे-1988), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना प्रबंध एवं तकनीकी सेवाएं (दूरसंचार/सीसीटीएनएस/सायबर शाखा) पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
03.	श्री अशोक जुनेजा (भापुसे-1989), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसआईबी/नक्सल ऑपरेशन, पुलिस मुख्यालय रायपुर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छसबल तथा एस.टी.एफ. का अतिरिक्त प्रभार.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, श्री रवि सिन्हा, भापुसे (सीजी-1988) को, भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3 के अंतर्गत, सेवा के विशेष महानिदेशक वेतनमान अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-16 रुपये 02,05,400-02,24,400/- में उनके कनिष्ठ श्री अशोक जुनेजा, भापुसे (1989) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

3. कंडिका-1 में उल्लेखित अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-06/2019/दो-गृह/भापुसे.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. I-11014/13/2018-IPS-IV-Part, दिनांक 10-08-2020 द्वारा श्रीमती भावना गुप्ता, भा.पु.से. (2014) का पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में संवर्ग परिवर्तन होने के फलस्वरूप, राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती भावना गुप्ता, (भापुसे-2014) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक (सी.आई.डी.), पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये. उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 सितम्बर 2020

क्रमांक/एफ 1-07/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 2007 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2020 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.पु.से. वेतन नियम, 2007

के नियम-3 के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2020 से सेवा का चयन श्रेणी वेतनमान (पे बैड 37,400-67,000+ग्रेड पे रु. 8,700/-) (पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 रु. 01,23,100-02,15,900) प्रदान किया जाता है.

क्रमांक	अधिकारी का नाम
01.	श्री दीपक कुमार झा, भापुसे (2007) पुलिस अधीक्षक, जिला-बस्तर (जगदलपुर)
02.	श्री जितेन्द्र सिंह मीणा, भापुसे (2007) पुलिस अधीक्षक, जिला-बालोद
03.	श्री डी. के. गर्ग, (2007), सेनानी 19वीं वाहिनी छसबल, जगदलपुर
04.	श्री बालाजीराव सोमावार, (2007) पुलिस अधीक्षक, जिला-जशपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 सितम्बर 2020

क्रमांक/एफ 1-07/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, श्री अभिषेक शांडिल्य, भापुसे (सीजी-2007) एवं श्री राम गोपाल गर्ग, भापुसे (सीजी-2007) को आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2020 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3 के अंतर्गत, दिनांक 01-01-2020 से सेवा के चयन श्रेणी वेतनमान (पे बैंड 37,400-67,000+ग्रेड पे रु. 8,700/-) (पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 रु. 01,23,100-02,15,900) में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 अगस्त 2020

क्रमांक 2026/एफ-21/08/2019/13/2/ऊ.वि./प्रत्याभूति.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर की वर्किंग केपिटल की व्यवस्था के लिए राशि रुपये 800 करोड़ की कैश क्रेडिट की सुविधा के लिए बिना प्रत्याभूति शुल्क भुगतान के राज्य शासन की गारंटी दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2023 तक अर्थात् 05 वर्ष तक प्रदान करती है.

2. और चूंकि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 01-01-2019 से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले रुपये 800 करोड़ के वर्किंग केपिटल हेतु संबंधित बैंक/वित्तदायी संस्थान के मध्य राज्य शासन की गारंटी के निष्पादन हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर गारंटी डीड का निष्पादन किया जाना है,

3. अतएव छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2019 की कालावधि अर्थात प्रथम वर्ष हेतु कंपनी के चालू देयताओं के भुगतान एवं प्रतिदिन के व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था के लिए यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स से पृथक-पृथक क्रमशः राशि रुपये 250 करोड़, 500 करोड़ एवं 50 करोड़ (अर्थात कुल राशि 800 करोड़) की कैश क्रेडिट की सुविधा हेतु बिना प्रत्याभूति शुल्क भुगतान के राज्य शासन की गारंटी स्वीकृत की जाती है. तदनुसार संस्थावार कैश क्रेडिट की सीमा एवं गारंटी की अवधि निम्नवत रहेगी :—

क्रमांक	बैंक का नाम	कैश क्रेडिट की सीमा	गारंटी की अवधि
1.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	रुपये 250 करोड़	01-01-2019 से 31-12-2019 तक
2.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	रुपये 500 करोड़	
3.	ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स	रुपये 50 करोड़	
	कुल	**रुपये 800 करोड़**	

4. ऊपर पैरा-2 एवं पैरा-3 में वर्णित राज्य शासन की गारंटी निम्न शर्तों के अधीन प्रभावशील रहेगी :—

4.1 शासन की प्रत्याभूति के प्रभावशील रहने की अवधि में वर्किंग केपिटल हेतु कैश क्रेडिट सुविधा का लाभ दिनांक 01-01-2019 से दिनांक 31-12-2023 तक रहेगा.

4.2 प्रथम वर्ष यथा 01-01-2019 से 31-12-2019 तक राज्य शासन की गारंटी के अधीन यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत आहरित वर्किंग केपिटल की राशि पर देय ब्याज के भुगतान की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संबंधित बैंकों में पृथक से निधियॉ (Fund) संधारित की जाएं, ताकि ब्याज का भुगतान नियमित रूप से हो सके.

4.3 प्रथम वर्ष यथा 01-01-2019 से 31-12-2019 तक राज्य शासन की गारंटी के अधीन यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स की बाध्यताओं के सुनिश्चित समय पर पालन का सम्पूर्ण दायित्व छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर रहेगा.

4.4 प्रथम वर्ष यथा 01-01-2019 से 31-12-2019 तक राज्य शासन की गारंटी के अधीन यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स से कैश क्रेडिट सुविधा अंतर्गत प्राप्त आहरित राशि के व्यय तथा जमा की गई राशि का विस्तृत लेखा रखा जायेगा और शासन की आवश्यकता पर इस हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

4.5 प्रथम वर्ष यथा 01-01-2019 से 31-12-2019 तक राज्य शासन की गारंटी के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स को धनराशि का भुगतान नियमित किया जाएगा एवं चूक होने पर इसकी जानकारी तत्काल राज्य शासन के संज्ञान में लायी जाएगी.

4.6 ऊपर पैरा-4.1 से पैरा-4.5 की शर्तों के अधीन यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स से कैश क्रेडिट की सुविधा अंतर्गत राशि आहरण हेतु कंपनी के सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व स्वयं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर होगा.

4.7 राज्य शासन की प्रत्याभूति शुल्क मुक्त 05 वर्ष की गारंटी में से प्रथम वर्ष की गारंटी के उपयोग पश्चात् शेष 04 वर्ष अर्थात् कैलेण्डर वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी की चालू देयताओं के भुगतान एवं प्रतिदिन के व्यय की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंक/वित्तदायी संस्थाओं से कैश क्रेडिट की व्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर यह सुविधा प्राप्त की जा सकेगी.

4.8 राज्य शासन की गारंटी के अधीन प्राप्त किए गए ऋण की सुविधा अंतर्गत आहरित राशि केवल वर्किंग केपिटल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है अत: आहरित राशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकेगा और छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल द्वारा कैश क्रेडिट सुविधा हेतु पारित संकल्पों/निर्णयों/जारी किए जाए निर्देशों की जानकारी राज्य शासन को पृष्ठांकित की जाएगी.

4.9 राज्य शासन की गारंटी के अधीन अर्जित निधियों से वितरित ऋणों की वसूली एवं कालातीत होने की दशा में उसके तथ्य की विस्तृत एवं स्पष्ट सूचना यथाशीघ्र शासन को दी जाएगी.

4.10 राज्य शासन बिना पूर्व सूचना दिये, जो उचित एवं आवश्यक समझेगी, नवीन ऋण प्राप्त करने को तथा नवीन ऋणों के वितरण को निषिद्ध कर सकेगी.

4.11 राज्य शासन द्वारा 05 वर्ष की कालावधि के लिए स्वीकृत प्रत्याभूति शुल्क मुक्त गारंटी हेतु अन्य कोई शर्त अथवा शर्तें जिसे या जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा, आगे कभी भी अधिरोपित करने के लिए राज्य शासन सक्षम होगा.

4.12 प्रथम वर्ष अर्थात कैलेण्डर वर्ष 2019 हेतु राज्य शासन की प्रत्याभूति हेतु परिशिष्ट-एक परिशिष्ट-दो एवं परिशिष्ट-तीन में संलग्न प्रारूप में गारण्टी डीड का निष्पादन करना आवश्यक है. तत्पश्चात् कैलेण्डर वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 हेतु गारंटी डीड पर ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर गारंटी डीड का निष्पादन किया जा सकेगा.

4.13 शासन की प्रत्याभूति हेतु गारंटी डीड के निष्पादन हेतु ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव की ओर से विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम्, विशेष सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अगस्त 2020

क्रमांक/1563/एफ-21/08/2019/13/2/ऊ.वि./प्रत्याभूति.—विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-21/08/2019/13/2/ऊ.वि./प्रत्याभूति दिनांक 30-08-2019 से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर की वर्किंग केपिटल की व्यवस्था के लिए राशि रुपये 800 करोड़ की कैश क्रेडिट की सुविधा के लिए बिना प्रत्याभूति शुल्क भुगतान के राज्य शासन की गारंटी दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2023 तक अर्थात् 05 वर्ष तक प्रदान की गई है.

2. उक्त आदेश की कंडिका-2 अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 01-01-2019 से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले रुपये 800 करोड़ के वर्किंग केपिटल हेतु संबंधित बैंक/वित्तदायी संस्थान के मध्य राज्य शासन की गारंटी के निष्पादन हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर गारंटी डीड का निष्पादन किया जाना है,

3. अतएव छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनाक 01-01-2020 से 31-12-2020 की कालावधि अर्थात द्वितीय वर्ष हेतु कंपनी के चालू देयताओं के भुगतान एवं प्रतिदिन के व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक धन की व्यथा के लिए यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स एवं बैंक ऑफ बड़ौदा से कुल राशि 800 करोड़ की कैश क्रेडिट की सुविधा हेतु बिना प्रत्याभूति शुल्क भुगतान के राज्य शासन की गारंटी स्वीकृत की जाती है. तद्नुसार संस्थावार कैश क्रेडिट की सीमा एवं गारंटी की अवधि निम्नवत् रहेगी :—

क्रमांक	बैंक का नाम	प्रत्याभूति अवधि	
		01-01-2020 से प्रत्याभूति जारी होने के दिनांक तक	प्रत्याभूति जारी होने के दिनांक से 31-12-2020 तक
		प्रत्याभूति राशि (करोड़ में)	
1.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	500 (7.40% ब्याज दर)	400
2.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	250 (7.39% ब्याज दर)	250
3.	ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स	50 (01-01-2020 से 02-06-2020 तक)	—
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	—	150 (7.50% ब्याज दर)
	कुल	**800**	**800**

4. ऊपर पैरा-2 एवं पैरा-3 में वर्णित राज्य शासन की गारंटी पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 2026 दिनांक 30-08-2019 के अनुसार (4.12 एवं 4.13 को छोड़कर) यथावत रहेगी तथा 4.12 एवं 4.13 निम्नानुसार रहेगी :—

4.12 द्वितीय वर्ष अर्थात् कैलेण्डर वर्ष 2020 हेतु राज्य शासन की प्रत्याभूति हेतु परिशिष्ट-एक, परिशिष्ट-दो एवं परिशिष्ट-तीन में संलग्न प्रारूप में एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स हेतु गारण्टी डीड का निष्पादन विगत वर्ष 2019 में निष्पादित बैंक गारंटी के अनुरूप दिनांक 01-01-2020 से 02-06-2020 की अवधि के लिए किया जाएगा. तत्पश्चात् कैलेण्डर वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 हेतु गारंटी डीड पर ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर गारंटी डीड का निष्पादन किया जा सकेगा.

4.13 शासन की प्रत्याभूति हेतु गारंटी डीड के निष्पादन हेतु ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव की ओर से अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया/जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 1-21/2018/15-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2018 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के परिणामस्वरूप दिनांक 01-02-2020 के परिणाम के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहकारिता विभाग अंतर्गत वेतनमान रु. 15600-39100+5400 (वेतन मैट्रिक्स लेवल 12) में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम-4 में उल्लेखित जिले में पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम तथा गृह जिला	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	कु. माहेश्वरी तिवारी, पिता श्री गीताराम तिवारी, व्ही.आई.पी.सीटी, गेट नंबर-2 के पास, राजीव विहार, लिंगियाडीह, बिलासपुर (छ.ग.). स्थायी पता-ग्राम+पोस्ट+थाना-बिर्रा, तह.-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.).	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ.ग.) (विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून, 2020 को संशोधित कर).
2.	2	श्री हितेश कुमार, पिता-श्री नारायण, मुकाम+पोस्ट-काशीगढ़, तह.-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495690.	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.).

2. उक्त परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-1/2017/1/3, दिनांक 28 जुलाई, 2020 के अनुसार "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रथमत: 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा."

3. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29-07-2020 की कंडिका-4 में निहित प्रावधान अनुसार "सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त कर्मियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :—

प्रथम वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,
द्वितीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,
तृतीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे."

4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिए गए वचन-पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से प्रदान की जा रही है. पुलिस सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो संबंधित अभ्यर्थी को अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

5. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में दें तथा प्रशिक्षण प्राप्त करें.

6. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि को दौरान में विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

7. परिवीक्षाधीन अधिकारी को अपनी परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा. जो व्यक्ति उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त की जा सकेगी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो.

8. अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत शासित होगी.

9. उपर्युक्त पदाभिलाषी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

10. उपर्युक्त पदाभिलाषी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवारी की जा सकेगी.

11. परिवीक्षाधीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षा अवधि का सफलतापूर्वक पार करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. बाण्ड का प्रारूप संलग्न है.

"प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला कवर्धा बिरकोना निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़), एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 15 जून 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	बंधियामाल	3.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 15 जून 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	घुमरापदर	0.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	घुमरापदर जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 15 जून 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	चिखली	0.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छतर सिंह डेहरे, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2020

क्रमांक/3461/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (व.मी. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	खमतराई प.ह.नं. 38	691.57	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.).	उरकुरा सरोना बायपास रेल लाईन पर खमतराई रेल्वे ओव्हर ब्रिज का चौड़ीकरण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्रमांक/2705/वा./भू.अ./प्र.क्र./31/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कढ़ाईखोदरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	970 एवं 971	1.00
	971	2.11
योग	02	3.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहकसा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्रमांक/2706/वा./भू.अ./प्र.क्र./11/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.89 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3	0.07
	47	0.27
	55	0.13
	205	0.03
	56	0.07
	65/1	0.08
	65/2	0.08
	65/3	0.09
	73	0.20
	203	0.10
	202	0.08
	174	0.15
	177	0.07
	178	0.07
	179	0.08
	136	0.04
	139	0.04
	109/4	0.11
	109/3	0.10
	110/3	0.06
	110/2	0.12
	110/1	0.12
	108	0.15
	107	0.05
	97	0.35
	180	0.06
	181	0.02
	111	0.02
	92	0.03
	93	0.03
	110/4	0.02
योग	31	2.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्रमांक/2707/वा./भू.अ./प्र.क्र./28/अ-82/2016-17.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेतोपाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	385/5	0.11
	419	0.08
योग	02	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहकसा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्रमांक/2708/वा./भू.अ./प्र.क्र./10/अ-82/2016-17.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोलर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1209	0.15
	1206/4	0.05
	1179	0.36
	992	0.02
	1177	0.02
	1176/1	0.28
	1176/2	0.22
	1130	0.27
	1215	0.07
	1122	0.02
	1124	0.15
	1121	0.10
	1120	0.15
	993/1	0.15
	1119	0.05
	1117	0.03
	1216	0.02
योग	16	2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्रमांक/2709/वा./भू.अ./प्र.क्र./33/अ-82/2016-17.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
   (ख) तहसील-अंतागढ़
   (ग) नगर/ग्राम-खड़गांव
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.45 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	188	0.13
	175	0.20
	174/3	0.51
	174/2	0.11
	174/1	0.32
	172	0.18
योग	06	1.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहकसा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्रमांक/2710/वा./भू.अ./प्र.क्र./09/अ-82/2016-17.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
   (ख) तहसील-अंतागढ़
   (ग) नगर/ग्राम-मड़पा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.09 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	RF/694	0.09
	RF/694	0.12
	RF/694	0.28
	RF/694	0.07
	RF/694	0.16
	RF/694	0.28
	RF/694	0.09
योग	07	1.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2020

क्रमांक/2784/वा./भू.अ./प्र.क्र./01/अ-82/2017-18.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
   (ख) तहसील-कांकेर
   (ग) नगर/ग्राम-मोहपुर
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
476/3	0.18
477	0.18

	(1)	(2)
	478	0.20
	479/1	0.21
	479/2	0.21
योग	05	0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हटकुल व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 21 जुलाई 2020

क्रमांक/2889/वा./भू.अ./प्र.क्र./03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
   (ख) तहसील-नरहरपुर
   (ग) नगर/ग्राम-मुड़पार
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	662/1	0.070
	662/2	0.120
	666/1	0.020
योग	03	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांकेर-दुधावा मार्ग के कि.मी. 15/2 पर कंकनाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 1 जुलाई 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जशपुर
   (ख) तहसील-पत्थलगांव
   (ग) नगर/ग्राम-तमता
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.885 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8/6क	0.016
8/6ग	0.016
8/5	0.153
22/2/ख	0.012
8/2ख/2/1	0.069
10/3क/1	0.214
10/3क/2	0.073
10/1क/2	0.028
24/1	0.097
24/2	0.057
23/2ख	0.162
24/3	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
23/2क	0.052	33/4	0.024
23/2ग	0.024	36/1क	0.073
23/1क	0.109	36/1घ	0.024
14	0.028	36/1ड़	0.036
13/1	0.028	36/1ज	0.024
13/3	0.077	36/1छ	0.089
13/2	0.036	36/3	0.024
12/8घ	0.034		
12/8ग	0.004	योग 37	1.885
12/2ख	0.032		
12/5क	0.008		
12/1क	0.032		
32/1	0.048		
36/1ख	0.028		
36/1ग	0.032		
12/1ग	0.032		
33/1	0.036		
33/2	0.03		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरकट्टा जलाशय योजना के बॉयी तट मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कावरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

बस्तर दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्रमांक/987/अ.वि.अ./अधिसूचना/2020.—एनएमडीसी लिमिटेड, मुख्यालय, हैदराबाद के आदेश क्रमांक 3(75)R/92/Pt., दिनांक 25-07-2018 के तहत श्री आशीष कुमार दास, वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत/भू-अर्जन) को एनएमडीसी लिमिटेड, एनएमडीसी आयरन एण्ड प्लांट, नगरनार हेतु संपदा अधिकारी/एस्टेट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है.

सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री आशीष कुमार दास, वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत/भू-अर्जन) को एनएमडीसी लिमिटेड, एनएमडीसी आयरन एण्ड प्लांट, नगरनार हेतु तत्काल प्रभाव से संपदा अधिकारी/एस्टेट ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु अधिसूचित किया जाता है.

No./987/अ.वि.अ./अधिसूचना/2020.— Vide Office order No. 3 (75)R/92/Pt., dated 25-07-2018, NMDC Limited, Head Office, Hyderabad has nominated Shri Ashish Kumar Das, Sr. Mgr. (Elect.)/LA as Estate Officer for NMDC Iron and Steel Plant, Nagarnar.

In pursuance of the powers conferred by Section 3 of the Public premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971, the State Government hereby appoints Shri Ashish Kumar Das, Senior Manager (Elect.)/LA of NMDC Limited, NMDC Iron and Steel Plant, Nagarnar to act as Estate Officer with immediate effect.

(जी. आर. मरकाम)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी.